मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 1973

क्रो. क्र. 2052-28-2-चार-नि-3-73.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक 1 अक्टूबर 1973 को प्रकाशित किया जा चुका है, की धारा 1 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम को दिनांक 1 नवम्बर 1973 से लागू करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

समर सरकार,
विशेष सचिव, वित्त.

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 43 सन् 1973

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३

विषय-सूची

धाराएं :

1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ	1
2.	परिभाषाएं	2
3.	संपरीक्षा प्राधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति	3
4.	संपरीक्षा के लिये लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना तथा संपरीक्षा फीस का भुगतान ..	3
5.	संपरीक्षा के लिये लेखाओं के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि	4
6.	दस्तावेजों की प्रस्तुति तथा संबंधित व्यक्तियों की हाजिरी अपेक्षित करने की संपरीक्षक की शक्ति	4
7.	धारा 6 के अधीन की गई अध्यपेक्षा की अवज्ञा करने के लिये शास्ति	5
8.	संपरीक्षा-रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और कतिपय अधिकारियों तथा निकायों को भेजी जायंगी.	5
9.	संपरीक्षा-रिपोर्ट की विषय वस्तु	6
10.	स्थानीय प्राधिकारी त्रुटियों को दूर करेगा. धारा 8 के अधीन संचालक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.	6 से 9
11.	संचालक अवैध संदाय के लिये या घोर उपेक्षा या उपचार द्वारा कारित हानि के लिये प्रभारित करेगा तथा प्रभार का स्थानीय प्राधिकारी की प्रशासन-रिपोर्ट में समाविष्ट किया जाना.	10
12.	प्रथम अपील	11
13.	द्वितीय अपील	11
14.	वसूली रोकने का निर्देश देने की शक्ति	12
15.	प्रभारों की भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली	12
16.	प्रभारों आदि का भुगतान	12
17.	शक्तियों का प्रत्यायोजन	12
18.	संचालक, संपरीक्षक आदि लोक सेवक होंगे	12
19.	वादों का वर्जन	13
20.	सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये संरक्षण	13
21.	इस अधिनियम को अन्य निगमित निकायों तथा अनिगमित निकायों पर लागू करने की शक्ति	13
22.	नियम बनाने की शक्ति	14
23.	निरसन	14
	अनुसूची	15–16
	परिशिष्ट	

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 43 सन् 1973

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर 1973 को प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक 1 अक्टूबर 1973 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्ध या नियंत्रण के अधीन की स्थानीय निधियों के लिये तथा कतिपय अन्य निगमित तथा अनिगमित निकायों की निधियों के लिये उपबन्ध करने और उपस्थानीय निधियों तथा निधियों के संपरीक्षा का विनियमन करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

1. (1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संपरीक्षा" के अन्तर्गत आते हैं विस्तृत संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, स्थानिक संपरीक्षा (Resident Audit) तथा ऐसी अन्य संपरीक्षा जिसे कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;

(ख) "संपरीक्षक" से अभिप्रेत है, संचालक तथा उसके अन्तर्गत वे समस्त अन्य अधिकारी आते हैं जो धारा 3 के अधीन इस प्रयोजन से नियुक्त किये गये हों कि वे उसकी सहायता करेंगे;

(ग) "विस्तृत संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, संपूर्ण वर्ष के लेखाओं की संपरीक्षा;

(घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी आता है, जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन संचालक की शक्तियां प्रदत्त की गई हों;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर सुधार न्यास (ग्राम पंचायत), जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कृषि उपज-मण्डी समिति या कोई अन्य प्राधिकारी जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध का वैध रूप से हकदार हो, या जिसे ऐसा नियंत्रण या प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो;

(च) "स्थानीय निधि" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी निधि जिसके नियंत्रण तथा प्रबन्ध के लिये कोई स्थानीय प्राधिकारी वैध रूप से हकदार हो और उसके अन्तर्गत किसी ऐसे उपकर रेट, शुल्क या कर जिन्हें अधिरोपित करने के लिये ऐसा प्राधिकारी वैध रूप से हकदार हो, के आगम तथा ऐसे प्राधिकारी में निहित कोई संपत्ति आती है/आते हैं;

(छ) "प्रधान अधिकारी" से अभिप्रेत है :—

(एक) नगरपालिक निगम के मामले में, नगरपालिक आयुक्त;

(दो) नगरपालिका परिषद् या अधिसूचित क्षेत्र समिति के मामले में, अध्यक्ष;

(तीन) नगर सुधार न्यास के मामले में, सभापति;

(चार) ग्राम पंचायत के मामले में, सरपंच;

Scanned by CamScanner

Yadav 428853

(पांच) जनपद पंचायत के मामले में, अध्यक्ष;

(छः) जिला पंचायत के मामले में, सभापति;

(सात) कृषि उपज मण्डी समिति के मामले में, अध्यक्ष; और

(आठ) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, उसका ऐसा पदाधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे.

(ज) "विशेष संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, किसी विनिर्दिष्ट मद या मदों के क्रमिक समूह से सम्बन्धित ऐसे लेखाओं की, जिनकी कि पूर्ण परीक्षा की जाना अपेक्षित है, संपरीक्षा;

(झ) "स्थानिक संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, व्यय की संवीक्षा या पूर्व संपरीक्षा तथा प्राप्तियों का पुनर्विलोकन.

संपरीक्षा प्राधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.

3. (1) किसी व्यक्ति को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा नियुक्त किया जा सकेगा और उसकी सहायता के लिये निम्नलिखित प्रवर्ग के अधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) उप-संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा;

(ख) सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा;

(ग) ज्येष्ठ संपरीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा; और

(घ) सहायक संपरीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा.

(2) संचालक, उप-संचालक तथा सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये अन्य अधिकारी राज्य सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे कि वह (राज्य सरकार) निर्देश दे, नियुक्त किये जायेंगे.

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, ऐसे क्षेत्रों के भीतर जिन्हें कि नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किये जायं.

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 8, 9, 10 तथा 11 के अधीन संचालक की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि संपरीक्षा के सहायक संचालक के पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के साथ प्रदत्त कर सकेगी जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय.

संपरीक्षा के लिये लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना तथा संपरीक्षा फीस का भुगतान.

4. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, लेखे इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे.

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी हो जाने पर उसमें विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय प्राधिकारी के लेखे, किसी ऐसी अधिनियमिति में जिसके द्वारा ऐसा स्थानीय प्राधिकारी गठित किया गया हो, या उसके (उस अधिनियमिति के) अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपबंधित की गई रीति में सभी दृष्टियों से संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे.

(3) स्थानीय प्राधिकारी ऐसी संपरीक्षा फीस का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जैसी कि राज्य सरकार समय-समय पर, उस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे.

संपरीक्षा के लिये लेखाओं के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि.

5. ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का, जिसके लेखाओं के सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन यह घोषित किया गया हो कि वे इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, प्रधान अधिकारी अपनी स्थानीय निधियों के समस्त लेखे ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाय, प्रतिवर्ष या ऐसी कालावधियों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किया जाय, संपरीक्षक को संपरीक्षा के लिये प्रस्तुत करेगा या करवायेगा.

दस्तावेजों की प्रस्तुति तथा संबंधित व्यक्तियों की हाजिरी अपेक्षित करने की संपरीक्षक की शक्ति.

6. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिये संपरीक्षक—

(क) लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि लेखाओं के संबंध में ऐसे वाउचर, विवरण, विवरिणी, पत्र-व्यवहार, टिप्पण या कोई अन्य दस्तावेज, जिन्हें कि वह उचित समझे, स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में पेश किये जायं;

Scanned by CamScanner

(ख) (एक) स्थानीय प्राधिकारी के किसी ऐसे वैतनिक सेवक से, जो ऐसे वाउचरों, विवरणों, विवरणियों, पत्र-व्यवहारों, टिप्पणों या अन्य दस्तावेजों के लिये उत्तरदायी हो या जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसे वाउचर, विवरण, विवरणियां, पत्र-व्यवहार, टिप्पण या अन्य दस्तावेज हों, लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वयं उपसंजात हो तथा किसी प्रश्न का उत्तर दे, या

(दो) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या अपने भागीदार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी के साथ या उसके अधीन की गई किसी संविदा में कोई अंश या हित रखता हो, लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में उसके समक्ष स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपसंजात हो तथा किसी प्रश्न का उत्तर दे;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में उससे (संपरीक्षक से) मिले, तथा उस बिन्दु को लिखित में विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिस पर उसका (उक्त प्रधान अधिकारी का) स्पष्टीकरण अपेक्षित हो.

(2) संपरीक्षक, उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अध्यपेक्षा या किये गये किसी आमंत्रण में एक युक्तियुक्त कालावधि, जो तीन दिन से कम की नहीं होगी, नियत कर सकेगा जिसके कि भीतर ऐसी अध्यपेक्षा या आमंत्रण का अनुपालन किया जायगा.

(3) संपरीक्षक स्थानीय प्राधिकारी को उस तारीख को, जिसकी कि वह संपरीक्षा प्रारंभ करना प्रस्थापित करे, कम से कम दो सप्ताह की लिखित सूचना देगा :

परन्तु संपरीक्षक, स्वप्रेरणा से, ऐसे कारणों से जो लिखित में अभिलिखित किये जायेंगे, अल्प सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना ही संपरीक्षा प्रारंभ कर सकेगा तथा वह राज्य सरकार का निर्देश हो जाने पर ऐसे कारणों से जो लिखित में अभिलिखित किये जायेंगे, अल्प सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना ही संपरीक्षा प्रारम्भ करेगा.

धारा 6 के अधीन की गई अध्यपेक्षा की अवज्ञा करने के लिये शास्ति.

7. (1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन उससे विधि पूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या उस अध्यपेक्षा का अनुपालन करने से जानबूझकर इंकार करेगा किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने के दायित्वाधीन होगा जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा.

(2) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाही संचालक की लिखित मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जायगी.

(3) उपधारा (2) के अधीन ऐसी मंजूरी देने के पूर्व, संचालक उस व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जाना है, यह अपेक्षा करेगा कि वह यह हेतुक दर्शाये कि ऐसी मंजूरी क्यों न दे दी जाय.

(4) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

संपरीक्षा-रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और कतिपय अधिकारियों तथा निकायों को भेजी जायगी.

8. संपरीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, किन्तु उसके बाद तीन माह से अधिक पश्चात् नहीं, संचालक उन लेखाओं के संबंध में, जिनकी कि संपरीक्षा तथा परीक्षा की गई हो, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी प्रतिलिपियां ऐसे अधिकारियों तथा निकायों को भेजेगा जिनके कि संबंध में राज्य सरकार इस बारे में निर्देश दे.

संपरीक्षा-रिपोर्ट की विषय-वस्तु.

9. संचालक अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित का विवरण सम्मिलित करेगा:—

(क) ऐसा प्रत्येक संदाय जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत होता हो;

(ख) किसी ऐसी कमी या हानि की, जिसके कि संबंध में यह प्रतीत होता हो कि वह किसी व्यक्ति की घोर उपेक्षा या अपचार के कारण कारित हुई है, रकम;

(ग) किसी धनराशि की ऐसी रकम जो लेखे में लाई जानी चाहिये थी किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा लेखे में नहीं लाई गई हो: और

(घ) उपर्युक्त खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में वर्णित से भिन्न कोई अन्य सारवान् अनौचित्य या अनियमितता; कपट या दुर्विनियोग जिसे वह लेखाओं में देखे.

Scanned by CamScanner

10. (1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी— स्थानीय प्राधिकारी त्रुटियों को दूर करेगा.

(क) उस रिपोर्ट में बतलाई गई ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं को छांटेगा या छंटवाएगा—

(एक) जिन्हें वह या कार्यपालिक अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किये बिना ही दूर करने के लिये सक्षम हो;

(दो) जिन्हें दूर करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी ही सक्षम हो;

धारा 8 के अधीन संचालक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.

(ख) स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी का एक विशेष सम्मिलन बुलायेगा, जो सम्मिलन स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के प्रयोजनों के लिये एक ऐसा विशेष सम्मिलन समझा जायेगा जो उक्त विधि के अधीन संयोजित किया गया हो; और

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस विशेष सम्मिलन के, जो कि खण्ड (ख) के अधीन बुलाया गया हो, समक्ष उस रिपोर्ट को एक ऐसे टिप्पण सहित प्रस्तुत करेगी जिसमें उन तथ्यों के बारे में, जो कि उस रिपोर्ट में वर्णित किये गये हों, स्थिति तथा वह कार्यवाही, जिसे कि वह उन तथ्यों के बारे में की जाने के लिये प्रस्तावित करे, दर्शायी जावेगी.

स्पष्टीकरण.—किसी "नगरपालिक निगम" के मामले में खण्ड (ख) तथा (ग) के प्रयोजनों के लिये उस नगरपालिक निगम के महापौर को नगरपालिक आयुक्त के स्थान पर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी समझा जाएगा.

(1-क) यदि स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी, उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार विशेष सम्मिलन नहीं बुलाता है, तो स्थानीय प्राधिकारी का कार्यपालिक अधिकारी उपधारा (1) में वर्णित कालावधि के अवसान की तारीख से तीस दिन के भीतर विशेष सम्मिलन बुलायेगा और उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) के उपबन्ध उसको उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन संयोजित किये गये विशेष सम्मिलन को लागू होते हैं.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, "स्थानीय प्राधिकारी के कार्यपालिक अधिकारी से" अभिप्रेत है,—

(एक) नगरपालिक निगम के मामले में, नगरपालिक आयुक्त;

(दो) नगरपालिका परिषद् या अधिसूचित क्षेत्र समिति के मामले में, मुख्य नगरपालिका अधिकारी;

(तीन) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के मामले में, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी;

(चार) (क) ग्राम पंचायत के मामले में, सचिव;

(ख) जनपद पंचायत के मामले में, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी;

(ग) जिला पंचायत के मामले में, सचिव;

(पांच) कृषि-उपज मण्डी समिति के मामले में, सचिव;

(छः) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, उसका ऐसा पदाधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे.

(1-ख) स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी उपधारा (1) के अधीन बुलाये गये विशेष सम्मिलन में उस विषय पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया जाने के पश्चात्, त्रुटियों या अनियमितताओं का परिशोधन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के चार मास के भीतर—

(क) संचालक को इस बात की प्रज्ञापना भेजेगा कि उस रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं दूर कर दी गई हैं; या

(ख) ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण, जो कि स्थानीय प्राधिकारी देना चाहे, संचालक को देगा.

Scanned by CamScanner

(1-ग) यदि स्थानीय प्राधिकारी क प्रधान अधिकारी को वह रिपोर्ट समझने में कोई कठिनाई मालूम होती है या उस बारे में कोई शंका होती है, तो वह ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जो कि विहित की जाय, संचालक से उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करा सकेगा. संचालक, उन बातों को स्पष्ट करने के लिये जिन्हें कि स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को, उससे यह अपेक्षा करते हुए समन कर सकेगा कि वह स्वयं ऐसे समय पर तथा ऐसे स्थान पर और ऐसे अभिलेखों सहित, जैसा कि वह (संचालक) निदेशित करे, उपस्थित हो या संचालक, यदि वह ऐसा करना उचित समझे अभिलेख का निरीक्षण ऐसे स्थान पर जहां की वह रखा हुआ हो कर सकेगा."

(2) ऐसी प्रज्ञापना या स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर, संचालक अपनी रिपोर्ट में वर्णित समस्त विषयों के बारे में या उनमें से किसी के भी बारे में,—

(क) स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी द्वारा दी गई प्रज्ञापना या दिये गये स्पष्टीकरण को प्रतिगृहीत कर सकेगा तथा आक्षेपों का प्रत्याहरण कर सकेगा; या

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि आगामी संपरीक्षा के समय या किसी पूर्वतर तारीख को उस विषय के सम्बन्ध में पुन: अन्वेषण किया जाय; या

(ग) यह मान सकेगा कि रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं या उनमें से कोई त्रुटियां, अनियमितता हटाई या दूर नहीं की गई है.

(3) यदि संचालक यह मानता है कि रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं हटाई या दूर नहीं की गई हैं, तो वह उपधारा (1-ख) के अधीन संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी द्वारा दी गई प्रज्ञापना या दिये गये स्पष्टीकरण के अपने द्वारा प्राप्त किये जाने पर या उपधारा (1-ग) के अधीन विहित की गई कालावधि का अवसान होने पर या उस दशा में जबकि स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी ऐसी प्रज्ञापना या स्पष्टीकरण देने से चूक गया हो, उपधारा (1-ख) में वर्णित चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर, यथाशक्य शीघ्र किन्तु रिपोर्ट प्राप्त होने के अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर, अभिकथित अपचारी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप उस धनराशि का, जिससे कि त्रुटियां या अनियमितताएं संबंधित हैं, वर्णन करते हुए विरचित करेगा और उक्त आरोपों की प्रतिलिपि आयुक्त को अग्रेषित करने के अलावा स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को भी अग्रेषित करेगा ; और

(3-क) यदि यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी का कार्यपालिक अधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन कार्यवाही नहीं करता है, तो वह इस बात के लिये दायी हो जायगा कि उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जायं तथा संचालक, उपधारा (1-ख) में वर्णित चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर, अभिकथित अपचारी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन आरोप विरचित करने के साथ-साथ यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के कार्यपालिक अधिकारी के विरुद्ध भी आरोप विरचित कर सकेगा.

(4) इस धारा में कोई भी बात संचालक को भी कोई भी ऐसी जानकारी जिसके संबंध में संचालक को यह प्रतीत हो कि वह आपराधिक दुर्विनियोग या कपट की उपधारणा का समर्थन करती है या जो, उसकी राय में, विशेष ध्यान दिये जाने या तत्काल अन्वेक्षण किये जाने के योग्य है, आयुक्त के ध्यान में, ऐसी कार्यवाही की जाने के लिये, जैसी कि आयुक्त आवश्यक समझे लाने से किसी भी समय प्रवारित नहीं करेगी.

11. (1) यदि प्रतिकूल हेतुक दर्शित करने का संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात संचालक को यह समाधान हो जाय कि स्थानीय प्राधिकारी के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन अपचारी व्यक्ति द्वारा किये गये अपचार या उसके द्वारा की गई घोर उपेक्षा के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ है, या यह समाधान हो जाय कि उक्त व्यक्ति अवैध संदाय के किये जाने में या अवैध संदाय के किये जाने का प्राधिकार प्रदान करने में एक पक्षकार हैं, तो संचालक, लिखित आदेश द्वारा , ऐसे व्यक्ति को यह निदेश देगा कि वह संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व ब्याज सहित ऐसी रकम का जैसी कि उस स्थानीय प्राधिकारी की, उसके धन संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय, दुरुपयोजन के लिये प्रतिपूर्ति करने के हेतु न्यायसंगत तथा साम्यिक पाई जाय भुगतान कर दें :

संचालक अवैध संदाय के लिये या घोर उपेक्षा या अपचार द्वारा अवैध कारित हानि के लिये भारित करेगा तथा प्रभार का स्थानीय प्राधिकारी की प्रशासन रिपोर्ट में समाविष्ट किया जाना.

परन्तु—

किसी ऐसी मद के संबंध में जो उस तारीख के, जब कि धारा 8 के अधीन रिपोर्ट स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को भेजी गई थी, या उस तारीख के जिसको कि वह संचालक की जानकारी में आई हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पांच वर्ष के पूर्व की किसी भी कालावधि के किसी लेखे में सम्मिलित की गई थी या जो उस लेखे में सम्मिलित की जानी चाहियें थी किन्तु उसमें से छोड़ दी गई प्रभार का कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन नहीं किया जायेगा :

Scanned by CamScanner

परन्तु यह और भी कि किसी मृत अपचारी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस सम्पत्ति की सीमा तक होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त हुई हो.

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए समस्त प्रभार संबंधित स्थानीय प्राधिकारी की अगली प्रशासन रिपोर्ट में समाविष्ट किए जाऐंगे और ऐसी रिपोर्ट जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी.

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे कि आदेश की प्रतिलिपि उपधारा (1) के अधीन दी जाए, उसे लेने से इन्कार करे, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि, वह प्रतिलिपि उसी दिन सम्यक रुपेण प्राप्त हो चुकी है, जिस दिनांक को वह प्रतिलिपि लेने से उसके द्वारा इन्कार किया गया था.

अधिनियम की धारा 3 (4) के अन्तर्गत क्षेत्रीय उप संचालक तथा सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को धारा 10 एवं 11 के अधीन विषयक संचालक की शक्तियां निम्नांकित सीमा तक प्रदत्त की है.

(1)	सहायक संचालक	.. ..	अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि रुपये 3000 तक वेष्टित हो का अन्तिम निराकरण.
(2)	उप संचालक	.. ..	अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि रुपये 3001 से रुपये 5000 तक वष्टित हो का अंतिम निराकरण.
(3)	संचालक	.. ..	रुपये 5000 से अधिक के अधिभार प्रकरणों का अन्तिम निराकरण.

मूल अधिनियम की धारा 12 तथा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें स्थापित की जायं, अर्थात्:— धारा 12 तथा 13 के स्थान पर नवीन धाराओं का स्थापन

प्रथम अपील.

126 (1) धारा 1. की उपधारा (1) के अधीन के प्रत्येक आदेश पर से कोई अपील.—

(क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश किसी सहायक संचालक व्दारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, उप संचालक को होगी.

(ख) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश ऐसे उप संचालक व्दारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, संचालक को होगी.

(ग) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संचालक व्दारा पारित किया गया हो आयुक्त को होगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको कि वह आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो तीस दिन के भीतर की जायेगी.

द्वितीय अपील.

13. यथास्थिति स्थानीय निधि संपरीक्षा का सहायक संचालक, उप संचालक या संचालक तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय निधि संपरीक्षा के उप संचालक या संचालक के अथवा आयुक्त के किसी ऐसे आदेश से, जो धारा 12 के अधीन किया गया हो, व्यथित हो, उस तारीख से जिसको कि उसे वह आदेश प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर इस बात के लिए कि यथास्थिति उप संचालक, संचालक या आयुक्त का ऐसा आदेश अपास्त किया जाय, आवेदन (एक) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश उप संचालक द्वारा पारित किया गया हो, संचालक को.

(दो) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश संचालक व्दारा पारित किया गया हो, आयुक्त को (तीन) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश आयुक्त व्दारा पारित किया गया हो, राजस्व मण्डल को कर सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसा साक्ष्य जैसा कि वह सुसंगत तथा आवश्यक समझे, लेने के पश्चात प्रभार की पुष्टि करेगा उसे उपांतरित करेगा या उसका परिहार करेगा और ऐसी डिग्री पारित करेगा तथा खर्च के संबंध में ऐसे आदेश करेगा जैसा कि वह ठीक समझे और ये आदेश अंतिम होंगे.

वसूली रोकने का निदेश देने की शक्ति

14. आयुक्त, राजस्व मण्डल या राज्य सरकार यथास्थिति धारा 12 के अधीन अपील का या धारा 13 के अधीन आवेदन का निपटारा लम्बित रहने की स्थिति में तथा व्यथित व्यक्ति द्वारा तदर्थक आवेदन किया जाने पर, एक ऐसा आदेश पारित कर सकेगी / सकेगा जिसके द्वारा कि धारा 11 के अधीन रकम की वसूली ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, रोक दी जायगी.

राज्य शासन वित्त विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2201–2950-चार नि.3–73 दिनांक 22-11-73 द्वारा संशोधित.

Scanned by CamScanner

15. ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें धारा 12 के अधीन कोई अपील न की गई हो या धारा 13 के अधीन कोई आवेदन न किया गया हो संचालक के प्रमाण-पत्र में कथित की गई राशि का और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथास्थिति अपील की गई हो या आवेदन किया गया हो, धारा 12 के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश में या राजस्व मण्डल या राज्य सरकार के आदेश में कथित की गई राशि का, यथास्थिति प्रमाण-पत्र या आदेश की तारीख के तीन मास के भीतर भुगतान किया जायेगा और यदि इस प्रकार भुगतान न किया गया हो, तो संचालक द्वारा आवेदन किया जाने पर या संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन किया जाने पर वह कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया हो और स्थानीय प्राधिकारी की स्थानीय निधि में जमा की जा सकेगी. **प्रभारों की भू-राजस्व की भाँति वसूली.**

16. किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपगत किये गये समस्त व्यय उसकी स्थानीय निधि में से देय होंगे. **प्रभारों आदि का भुगतान.**

17. राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको (राज्य सरकार की) प्रदत्त समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, के अपवाद के साथ, किसी ऐसे अधिकारी को जो कलेक्टर के पद से निम्न पद का न हो, अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी. **शक्तियों का प्रत्यायोजन.**

18. संचालक, प्रत्येक संपरीक्षक या कोई अधिकारी या प्राधिकारी, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या उनका प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा. **संचालक, संपरीक्षक आदि लोक सेवक होंगे.**

19. इस अधिनियम या अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश को अपास्त या उपांतरित करने के लिये कोई भी वाद का अन्य कार्यवाहियां किसी सिविल न्यायालय में नहीं लाई जायेगी. **वादों का वर्जन.**

20. संपरीक्षक, संचालक, राज्य सरकार या किसी अन्य अधिकारी के जो यथास्थिति संपरीक्षक, संचालक, अन्य सरकार के अधीनस्थ हों या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा हो, विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भावपूर्वक किया जा चुकना तात्पर्यित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाहियां नहीं होंगी **सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये संरक्षण.**

21. (1) इस धारा में,— **इस अधिनियम की अन्य निगमित निकायों तथा अनिगमित निकायों पर लागू करने की शक्ति.**

(क) "निगमित निकाय" से अभिप्रेत है स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न ऐसा निगमित निकाय जो संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 के अधीन आने वाली किसी ऐसी अधिनियमिति जो राज्य विधान मन्डल द्वारा अधिनियमित की गई हो तथा तत्समय प्रवृत्त हो द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया हो;

(ख) "अनिगमित निकाय" से अभिप्रेत है कोई ऐसा निकाय जो किसी लिखित या विलेख द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया हो.

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये किसी भी निगमित निकाय या अनिगमित निकाय को लागू होंगे और ऐसी घोषणा के किये जाने पर, यह अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, उस अधिनियमिति या लिखत या विलेख में, जिसके द्वारा या जिसके अधीन यथास्थिति ऐसा निगमित निकाय या अनिगमित निकाय गठित हुआ है, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तद्नुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा निगमित निकाय या अनिगमित निकाय स्थानीय प्राधिकारी हो किन्तु इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए कि ऐसे निगमित निकाय या अनिगमित निकाय के संबंध में प्रधान अधिकारी से अभिप्रेत होगा यथास्थिति निगमित निकाय या अनिगमित निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी निगमित निकाय या अनिगमित निकाय को अनुसूची में जोड़ सकेगी या किसी भी निगमित निकाय या अनिगमित निकाय का अनुसूची में से लोप कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी हो जाने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित हो जायगी.

22. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी. **नियम बनाने की शक्ति.**

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :—

Scanned by CamScanner

(क) संपरीक्षा फीस का भुगतान जो कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन किया जायगा;

(ख) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें कि लेखे धारा 5 क अधीन संपरीक्षा के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे;

(ग) संपरीक्षकों को शक्तियां तथा कर्त्तव्य और संपरीक्षा के संचालन के लिये उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वे समय जब तथा वे स्थान जहां ऐसी संपरीक्षा की जा सकेगी:

(घ) संचालक की शक्तियां तथा कर्त्तव्य;

(ङ) ये प्राधिकारी, जिनको धारा 8 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी जायेंगी;

(इङ) वह रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर कि रिपोर्ट के संबंध में धारा 10 की उपधारा (1-ग) के अधीन स्थिति स्पष्ट कराई जायेंगी,

(च) कोई अन्य बात जो निहित की जानी है या विहित की जाय.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

23. मध्यप्रदेश लोकल फण्ड आडिट एक्ट, 1933 (क्रमांक 9 सन् 1933) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. निरसन

Scanned by CamScanner

अनुसूची

[धारा 21 (3) देखिए]

क—राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित की गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय तथा उनके संघटक महाविद्यालय.

(1) यूनिवर्सिटी आफ सागर, सागर.

(2) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन.

(3) यूनिवर्सिटी आफ जबलपुर, जबलपुर.

(4) रविशंकर यूनिवर्सिटी, रायपुर.

(5) इन्दौर यूनिवर्सिटी, इन्दौर.

(6) जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर.

(7) अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा.

(8) भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल.

(9) इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़.

(10) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर.

ख—मध्यप्रदेश के बोर्ड

(1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.

(2) बोर्ड आफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक सिस्टम आफ मेडिसिन, मध्यप्रदेश.

(3) मध्यप्रदेश डेण्टल कौंसिल, भोपाल.

(4) विधिक सहायता तथा विधिक सलाहकार बोर्ड, भोपाल.

ग—न्यास निधियां

(1) चेरीटेबिल एन्डाउमेंट्स मध्यप्रदेश के कोषालय में विनिहित की गई समस्त न्यास निधियां.

(2) पूर्णतः या अंशतः सरकारी प्रतिभूतियों से मिलकर बनने वाली समस्त न्यास निधियां.

(3) गंगाजली निधि न्यास.

घ—राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली समस्त गैरसरकारी शैक्षिक तथा तकनीकी संस्थायें.

ङ—मध्यप्रदेश सुगरकेन (रेग्युलेशन आफ सप्लाय एण्ड परचेज) एक्ट, 1958 (क्रमांक 1 सन् 1959) की धारा 6 के अधीन स्थापित की गई समस्त गन्ना विकास परिषदें.

च—अन्य संस्थायें

(1) मध्यप्रदेश पेंशन्टस फण्ड एण्ड चेरिटी बाक्सेस के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सालयों द्वारा रक्षित लेखे.

(2) मध्यप्रदेश कला परिषद्, भोपाल.

(3) गांधी शताब्दी लेखे.

(4) पी. एम. टी. मण्डल, भोपाल.

(5) माधव प्रायोगिकी महाविद्यालय, ग्वालियर.

(6) प्रशासकीय पोलिटेकनिक्स.

(7) भूतपूर्व जिला कौंसिल रायपुर के लेखों का पुनरावलोकन.

Scanned by CamScanner

(8) पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल.

(9) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, भोपाल.

(10) मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड, भोपाल.

(11) लक्ष्मण बाग संस्थान, रीवा.

(12) आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन स्थापित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के लेखे भिलाई, खजुराहो, कोरबा, अमरकंटक, सिंगरोली, पंचमढ़ी, बेलाडिला, चित्रकूट एवं ओरछा.

(13) मुख्य मंत्री सहायता कोष के लेखे.

(14) माधव इंजीनियरिंग कालेज एम्पलाइज प्रोवीडेन्ट फण्ड ट्रस्ट, ग्वालियर.

(15) संचालक, स्थानीय संस्थायें, मध्यप्रदेश में स्थापित पेंशन फण्ड.

(16) संचालक, स्थानीय संस्थायें, टेक्नीकल फण्ड.

(17) म. प्र. उर्दू अकादमी.

(18) औकाफ विभाग, ग्वालियर.

(19) आफिसियल लिक्विडेटर, इन्दौर.

(20) म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल.

(21) पोस्ट वार सर्विसेज रिकन्स्ट्रक्शन ट्रस्ट एवं स्पेशल फण्ड.

(22) मसजिद कमेटी, भोपाल.

(23) मेडीकल कौंसिल, भोपाल.

(24) उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादमी, भोपाल.

(25) श्री शारदा देवी मंदिर, मैहर, जिला सतना, म. प्र.

26

27 मध्यप्रदेश आदिवासी लोककला परिषद भोपाल-
28 कालिदास अकादमी - [illegible] उज्जैन
29 रूपंकर ललित कला संग्रह - भारत भवन भोपाल
30 म०प्र० रंगमण्डल - भारत भवन भोपाल -

वित्त विभाग भोपाल, दिनांक 29 [illegible] 1982 क्र० [illegible] 5089 चार - नियम [illegible] [illegible] दिनांक 12 नवम्बर 82

परिशिष्ट क्रमांक १

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 1978

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 14 सन् 1978.

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९७८

दिनांक 26 मई 1978, को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण), दिनांक 5 जून 1978 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 को संशोधित करने हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1978 है.

धारा 3 का संशोधन.

2. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जावे, अर्थात :—

"(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 8, 9, 10 तथा 11 के अधीन की संचालक की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि लेखा के सहायक संचालक के पद से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी."

धारा 10 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें स्थापित की जायें, अर्थात् :—

"(1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर, स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी,—

(क) उस रिपोर्ट में बतलाई गई ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं को छांटेगा या छंटवाएगा:—

(एक) जिन्हें वह या कार्यपालिक अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किये बिना दूर करने के लिये सक्षम हो;

(दो) जिन्हें दूर करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी ही सक्षम हो ;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी का एक विशेष सम्मिलन बुलायेगा, जो सम्मिलन कि स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के प्रयोजनों के लिये एक ऐसा विशेष सम्मिलन समझा जायेगा जो उक्त विधि के अधीन संयोजित किया गया हो; और

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस विशेष सम्मिलन के जो कि खण्ड (ख) के अधीन बुलाया गया हो, समक्ष उस रिपोर्ट को एक ऐसे टिप्पण सहित प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन तथ्यों के बारे में, जो कि उस रिपोर्ट में वर्णित किये गये हों, स्थिति तथा वह कार्यवाही जिसे कि वह उन तथ्यों के बारे में की जाने के लिये प्रस्तावित करे, दर्शाई जायेगी.

स्पष्टीकरण.—किसी "नगरपालिक निगम" के मामले में खण्ड (ख) तथा (ग) के प्रयोजनों के लिये, उस नगरपालिक निगम के महापौर को नगरपालिक आयुक्त के स्थान पर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी समझा जायेगा.

Scanned by CamScanner

(तीन) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाय, अर्थात् :--

"(3-क) यदि यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी का कार्यपालिक अधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन कार्यवाही नहीं करता है तो वह इस बात के लिये दायी हो जायगा कि उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जायं तथा संचालक, उपधारा (1-ख) में वर्णित चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर, अभिकथित अपचारी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन आरोप विरचित करने के साथ-साथ यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के कार्यपालिक अधिकारी के विरुद्ध भी आरोप विरचित कर सकेगा".

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में से खण्ड (दो) का लोप किया जाय. धारा 11 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :— धारा 22 का संशोधन.

"(ङङ) वह रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर कि रिपोर्ट के संबंध में धारा 10 की उपधारा (1-ग) के अधीन स्थिति स्पष्ट कराई जायगी".

6. जहां किसी मामले में मूल अधिनियम की धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर,— धारा 10 तथा 11 के अधीन की व्यपगत कार्यवाहियों का पुन: प्रवर्तन.

(क) आरोप इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उस कालावधि के भीतर जो कि धारा 10 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट है, विरचित नहीं किया गया था, या

(ख) प्रभार का आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उस कलावधि के भीतर, जो कि धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट है, नहीं किया गया था.

वहां, भले ही मूल अधिनियम में कोई भी बात क्यों न हो, आरोप विरचित करने या प्रभार का आदेश करने संबंधी वे कार्यवाहियां, जो व्यपगत हो चुकी थीं, ऐसा प्रारंभ होने पर पुन: प्रवर्तित हो जायेगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर यथास्थिति आरोप विरचित किया जा सकेगा या प्रभार का आदेश किया जा सकेगा.

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट क्रमांक २

क्रमांक 28 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 1975–आषाढ़ 20, शके 1897

वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जून 1975

क्र. 1554-576-चार-नि-3-75.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (43 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के लेखे उक्त अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यधीन होंवे:—

अनुसूची

(1) समस्त नगरपालिक निगम.

(2) समस्त नगरपालिका परिषद्.

(3) समस्त अधिसूचित क्षेत्र समितियां.

(4) समस्त नगर सुधार न्यास.

(5) समस्त जनपद सभा.

(6) समस्त जनपद पंचायत.

(7) समस्त जिला पंचायत.

(8) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अधीन गठित समस्त मंडी समिति.

(9) समस्त प्राधिकारी जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध के लिये, विधिक रूप से हकदार हों या राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किये गये हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निर्मला बुच, विशेष सचिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट क्रमांक ३

क्र. 28 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 1975—आषाढ़ 20, शके 1897

वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 1974

क्र. 2034-2535-चार-नि-3-74.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त नियमित तथा अनियमित निकायों को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
म. य. गोडबोले, प्रमुख सचिव.

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 20 सन 1979

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1979

[दिनांक 1 जून 1979 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 11 जून 1979 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 को और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत के गणराज्य के तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1979 है.

धारा 2 का संशोधन.

2. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् धारा 2 संशोधन का मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,—

(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(क) 'संपरीक्षा' के अंतर्गत आता है विस्तृत संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, स्थानिक संपरीक्षा (रेजीडेंट आडिट) तथा ऐसी अन्य संपरीक्षा जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें."

(दो) खंड (घ) में शब्द "स्थानीय निधि लेखा" के स्थान पर "स्थानीय निधि संपरीक्षा" स्थापित किये जायं; और

(तीन) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(झ) 'स्थानिक संपरीक्षा' से अभिप्रेत है व्यय की संवर्ती या पूर्व संपरीक्षा तथा प्राप्तियों का पुनर्विलोकन."

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(एक) जहां कहीं भी शब्द "स्थानीय निधि लेखा आये हों, वहां उनके स्थान पर शब्द "स्थानीय निधि संपरीक्षा" स्थापित किये जायं.

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात्:—

"(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 8, 9, 10 तथा 11 के अधीन संचालक की समस्त शक्तियों या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि संपरीक्षा के सहायक संचालक की पद श्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी अधिकारी को ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के साथ प्रदत्त कर सकेगी जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय."

धारा 11 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) में शब्द "विनिश्चय" के स्थान पर शब्द "आदेश" स्थापित किया जाये.

धारा 12 तथा 13 के स्थान पर नवीन धाराओं का स्थापन.

5. मूल अधिनियम की धारा 12 तथा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें स्थापित की जायं, अर्थात्:—

प्रथम अपील.

"12. (1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन के प्रत्येक आदेश पर से कोई अपील,—

(क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश किसी सहायक संचालक द्वारा, जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, उपसंचालक को होगी.

(ख) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश ऐसे उप संचालक द्वारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, संचालक को होगी.

(ग) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो, आयुक्त को होगी.

Scanned by CamScanner

(2) उपधारा (1) के अधीन हर अपील उस तारीख से जिसको कि वह आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर की जायगी.

द्वितीय अपील.

13. यथास्थिति स्थानीय निधि संपरीक्षा का सहायक संचालक, उप संचालक या संचालक तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो स्थानीय निधि संपरीक्षा के उप संचालक या संचालक के अथवा आयुक्त के किसी ऐसे आदेश से, जो धारा 12 के अधीन किया गया हो, व्यथित हो, उस तारीख से, जिसको कि उसे वह आदेश प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर इस बात के लिये कि यथास्थिति उप संचालक, संचालक या आयुक्त का ऐसा आदेश अपास्त किया जाय, आवेदन —

(एक) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश उप संचालक द्वारा पारित किया गया हो, संचालक को,

(दो) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो, आयुक्त को,

(तीन) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो, राजस्व मंडल को,

कर सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसा साक्ष्य जैसा कि वह सुसंगत तथा आवश्यक समझे, लेने के पश्चात प्रभार की पुष्टि करेगा, उसे उपान्तरित करेगा या उसका परिहार करेगा और ऐसी डिक्री पारित करेगा तथा खर्च के संबंध में ऐसे आदेश करेगा जैसा कि वह ठीक समझे और ये आदेश अंतिम होंगे."

Scanned by CamScanner